विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 283 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जुलाई 2013 से 28 जुलाई 2013

नकद पैसे बांटकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास

• बाबूलाल नागा •

देश की सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के जतन करती है। लोगों को मुफ्त आवास देती है। रोजगार देती है। भोजन की गारंटी के सपने दिखाती है। राजस्थान सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले कई योजनाओं के तहत नकद पैसा बांट रही है। लोगों को साड़ी कंबल खरीदने के लिए पैसे दे रही है। घर में भले ही बिजली ना आए लेकिन 2–2 सीएफएल बांट रही है। मनरेगा में सौ दिन पूरे करने वाले परिवारों को इक्कीस सौ रुपए दिए जा रहे हैं। यही नहीं अब आंगनबाड़ी के बच्चों को राज्य सरकार कुर्ता पायजामा देगी। यानी सब कुछ फ्री।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की थीं। राज्य विधानसभा चुनावों में पांच माह ही रह गए हैं। अतः सरकार लोगों को मुफ्त में कई सौगातें दे रही हैं। अक्टूबर माह में आचार संहिता लग जाएगी। यानी सरकार के पास सिर्फ साढ़े तीन महीने का समय बचा है। राज्य सरकार जल्द से जल्द अपनी की गई घोषणाएं पूरी करना चाहती हैं। राज्य सरकार प्रदेश के 40 लाख परिवारों को दो साड़ी और कंबल खरीदने के लिए 1500 रुपए के चैक का वितरण कर रही है। इसके लिए चैक बांटने का काम अभी किया जा रहा है। 12 जुलाई तक यह काम चलेगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में पहले इन बीपीएल परिवारों को दो साड़ी और कंबल खरीदकर देने की योजना थी लेकिन सरकार 80 लाख साड़ियां जुटा नहीं पाई। साथ ही अगले दो तीन माह में बांट भी नहीं पाती। इसलिए हर परिवार को 1500 रुपए का चैक देने की तैयारी कर ली। 40 लाख परिवारों को 1500 रुपए का चैक देने में करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत बीपीएल, स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, अत्योदय परिवार, कैथोड़ी, खेरवा, सहरिया जाति के परिवारों के अलावा मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना या निराश्रित संबल योजना के अंतर्गत चिहिंत व्यक्ति, परिवार आदि इसके पात्र होंगे। राज्य सरकार ''मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना'' के तहत 53 लाख परिवारों को 2–2 सीएफएल का निशुल्क वितरण कर रही है। 31 अगस्त, 2013 तक सभी पात्र उपभोक्ताओं को सीएफएल वितरण का लक्ष्य रखा है। हालांकि इस योजना के पात्र कौन होंगे। यह अभी भी तय नहीं हो पाया है। खबर है कि राज्य में कई जगह सीएफएल को लेने में लोग उदासीनता दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के प्रचार का अनोखा तरीका निकाला। सीएफएल के कवर पर अपनी फोटो के साथ इस योजना का बखान किया है। योजनाओं के नाम पर लोगों के हाथों में सीधे पैसे पहुंचे। ऐसा ही कुछ मनरेगा में भी किया है। राज्य सरकार ने मनरेगा योजना में सौ दिन काम करने वाले परिवारों को स्व रोजगार के लिए प्रोत्साहन स्वरूप इक्कीस सौ रुपए की राशि वितरित की। प्रदेश में ऐसे परिवारों की संख्या करीब 4.50 लाख है। यह राशि घर में सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के खातों में जमा करवाई गई है।

राज्य सरकार ने ''राजीव गांधी विद्यार्थी स्कूल योजना'' के तहत टैबलेट खरीदने के लिए 6 हजार रुपए सीधे बच्चों के खातों में जमा कराए हैं। इस योजना में मिडिल कक्षा में पढ़ने वाले करीब साढ़े तीन लाख विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है। जिस पर दो सौ करोड़ रुपए से अधिक बजट खर्च हुआ। सरकार की ओर से टैबलेट खरीद के लिए यह चैक आठवीं कक्षा में दूसरे स्थान से ग्यारहवें स्थान प्राप्त करने वाले होनहार बालकों को दिए गए। अब राज्य सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 12 लाख बच्चों को दो दो कुर्ता पायजामा देने जा रही है। राज्य में वर्तमान में 304 बाल विकास परियोजनाओं में 61,119 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। जिन पर स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थी बालक बालिका आते हैं। इन बच्चों को यूनिफार्म दी जानी है। इस प्रकार लगभग 24 लाख यूनिफार्म की जरूरत होगी। बहरहाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी वर्ष में मतदाताओं को लुभाने की हर कोशिश और दांव आजमाने के लिए खजाने खोल दिए हैं। इसका फायदा सरकार को कितना मिल पाएगा यह तो भविष्य में पता चलेगा लेकिन वोटों की इस राजनीति में लोगों का जरूर फायदा हो रहा है। घर बैठे ही उनके खातों में पैसा जो आ रहा है। **(विविधा फीचर्स)**

इस अंक में...

- **नकद पैसे बांटकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास**
- **यह गरीबी और गैरबराबरी**
- **भटकाव दूर कर बड़े आदर्शों से जोड़ा**
- **खाद्य सुरक्षा विधेयकः न हो कमजोर व बनावटी**
- **अपनी ही जमीन से मोहताज सहरिया**
- **किस किसके लिए खाद्य सुरक्षा और बाकी लोगों का क्या?**
- **अपराधी नेताओं पर कानूनी शिकंजा**
- **नियुक्ति में देरी क्यो?**
- **उपभोक्ताओं के हितों में उठाने होंगे जरूरी कदम**
- **जनता को मुफ्त उपहार न दें**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 283 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जुलाई 2013 से 28 जुलाई 2013

यह गरीबी और गैरबराबरी

• कृष्ण प्रताप सिंह •

संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लीस ग्रैंड का कहना है कि भारत गरीबी उन्मूलन के संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की दिशा में 'उचित गति' से अग्रसर है और 2015 तक इसे प्राप्त कर लेगा। उनके कथन का आधार संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा तैयार कराई गई वह रिपोर्ट है, जिसके अनुसार देश में व्यापक स्तर पर फैली गरीबी 1994 के 49 प्रतिशत से घट कर 2005 में 42 प्रतिशत तक आई और 2010 में केवल 33 प्रतिशत रह गई है।

उत्तराखंड में हुई मौतों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों को गलत बताने में एक पल भी न लगाने वाली हमारी सरकार ने इस रिपोर्ट पर मूछें ऐंठने की मुद्रा अख्तियार कर ली है लेकिन क्या कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप करते हुए इन अनुकूल आंकड़ों की आड़ में इस कड़वे सच को छिपाया जा सकता है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 12 से 20 रुपए रोज पर गुजर बसर करने को अभिशप्त है, तब भी गरीबों की नियति नहीं बदली है। (अजरुन सेन गुप्ता समिति का यह बहुप्रचारित निष्कर्ष मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता हुआ घिस सा गया है) इतना ही नहीं, अब तो गरीबों की पहचान और संख्या, दोनों विवादास्पद बना दी गई हैं। विडंबना देखिए कि सरकार संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के इन आंकड़ों को लेकर ऐसे वक्त में खुश हो रही है, जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े कई मायनों में उक्त रिपोर्ट को न सिर्फ झुठला रहे हैं, बल्कि गरीबी उन्मूलन के सरकारी प्रयासों की दशा और दिशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एनएसएसओ के आंकड़े इस अर्थ में ज्यादा विचलित करने वाले हैं, कि उनकी रोशनी में देश की कुल जनसंख्या में गरीबों का प्रतिशत थोड़ा बहुत घटा हो तो घटा हो, पर गरीबों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़े, यानी अंतिम व्यक्ति की हालत सुधरने के बजाय और भी खराब ही हुई है। वे अब भी गांवों में 17 रुपए और शहरों में 23 रुपए रोज पर ही अपना दिन गुजारने को मजबूर हैं।

यह स्थिति तब है, जबकि रुपए की कीमत डॉलर के ही नहीं, गरीबों की दिन प्रतिदिन महंगी होती दाल रोटी के मुकाबले भी गिरती जा रही है। गरीब समझ ही नहीं पा रहा कि जो सरकार उसके प्रति इतनी दयालू है, कि खाद्य सुरक्षा कानून बनने के बाद उसे तीन रुपए किलो गेहूं देने को बेचैन दिख रही है और इसके लिए सवा लाख करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है, भले ही वह आमतौर पर सब्सिडियों के लगातार बढ़ते जाने का रोना रो रोकर उनमें कटौती करती रहती हो, उसी के राज में अभी गेहूं का आटा 22 से 25 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान सबसे गरीब व्यक्ति की गरीबी का ही नहीं, गैरबराबरी का त्रस भी बढ़ा है। गांव के सबसे अमीर पांच प्रतिशत लोग 4,481 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करने की स्थिति में आ गए हैं, जबकि शहर का सबसे अमीर पांच प्रतिशत तबका 10,282 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना खर्च करने में सक्षम हो गया है। इस लिहाज से गांवों व शहरों के सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्तियों के खर्च में बढ़ता अंतर ही नहीं, शहरों के सबसे अमीर व्यक्ति का गांवों के सबसे अमीर व्यक्ति से ढाई गुना अमीर होना भी विचलित करता है। गांव के सबसे अमीर व शहर के सबसे अमीर के खर्च में राष्ट्रीय औसत के लिहाज से भी जो फर्क है, वह दोगुने से थोड़ा ही कम है। इसका अर्थ यही तो है, कि ग्रामोन्मुखी नीतियों की आड़ में समृद्धि की सारी सहूलियतें शहरों के नाम लिखी जा रही हैं और गांवों की नियति बना दी गई है कि वे आकांक्षा व प्रतीक्षा के द्वंद्व को डोलते और हांफते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ें।

गैरबराबरी की इंतिहा देखिए– सौ अग्रणी कॉरपोरेट घरानों का देश की 90 प्रतिशत संपदा पर प्रत्यक्ष व परोक्ष नियंत्रण है, जबकि एक तिहाई ग्रामीण आबादी भूमिहीन व निर्धन है। सालाना पांच करोड़ से ज्यादा आय और अत्यंत मूल्यवान स्थायी संपत्ति के मालिक महाअमीरों की संख्या करीब सवा लाख है। इस महाअमीर तबके का ऊपरी हिस्सा भ्रष्ट शासनतंत्र से जुड़ा हुआ है और यही काला धन पैदा करने में भी अव्वल है। कालेधन के मामले में देश शीर्ष पर पहुंचा हुआ है, तो इसी तबके के कारण। इसी के कारण देश की नजर आनेवाली सरकारी अर्थव्यवस्था की तुलना में भूमिगत अर्थव्यवस्था कई गुना बड़ी हो चली है। कॉरपोरेट, राजनेता व नौकरशाह गठजोड़ द्वारा स्विसबैंकों में ही जो धन जमा किया गया है, वह भारत की समूची राष्ट्रीय आय से भी ज्यादा है। किसे नहीं मालूम कि अमीरी का रास्ता गैरबराबरी और गरीबी का रास्ता भी होता है। (साभारः आईएमफॉर चेंज)

(विविधा फीचर्स)

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 283 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जुलाई 2013 से 28 जुलाई 2013

भटकाव दूर कर बड़े आदर्शों से जोड़ा

• भारत डोगरा •

12 जनवरी 2013 को स्वामी विवेकानंद की 150 वीं जयंती मनाई गई। वर्ष 2013–2014 के दौरान अनेकोनेक कार्यक्रम उनकी याद में होंगे। इनमें बहुत से कार्यक्रम स्कूल–कॉलेज व शिक्षा संस्थानों में भी हो रहे हैं। यह बहुत अनुकूल समय है स्वामी जी के संदेश को सही भावना के साथ समझने का क्योंकि यह संदेश आज के समय में पहले से भी और महत्वपूर्ण व प्रासंगिक हो गया है।

जब देश एक बहुत कठिन समय से गुजर रहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत कष्ट सह कर गहरा मंथन किया था। बहुत दूर तक घूम कर, लोगों से मिलकर नई राह निकालने की कोशिश की थी। इस अथक प्रयास से उन्होंने बहुत प्रतिकूल स्थितियों के बीच नई राह निकाली। उनकी इस तपस्या का लाभ लाखों लोगों को जीवन बदलने वाले प्रेरणादायक संदेश के रूप में मिला। उन्हें देह त्यागे हुए आज 111 वर्ष हो गए हैं, तो भी आज तक ऐसी स्थिति है कि युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन व विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन समाज को समर्पित कर देते हैं। यह इस कारण हो सका है कि स्वामी जी की तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। उसके साथ बहुत गहरी विचारशीलता जुड़ी हुई थी। अपने जीवन में वे सबसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब खोजते रहे व यह सच्चाई की खोज ही उन्हें ऐसे समाधानों की ओर ले गई जो आज भी युवाओं के मार्ग–दर्शन का कार्य करते हैं हालांकि दुनिया इतनी बदल चुकी है। स्वामी विवेकानंद स्वयं सन्यासी थे, पर उन्होंने विरक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया और न ही किसी कर्मकांड को महत्त्व दिया। उनका तो अपने देशवासियों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही था कि अपने आलस्य और अज्ञान को छोड़ो और सामाजिक बुराइयों के बंधन को तोड़कर देश व समाज को आगे ले जाओ। गरीब और उपेक्षित वर्गों व समुदायों की सेवा करो ताकि वे भी बराबरी प्राप्त कर सकें। महिलाओं को शिक्षा के भरपूर अवसर दो ताकि वे भी सार्थक बदलाव में भरपूर भूमिका निभा सकें। इस तरह सब कुरीतियों और कमजोरियों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त हो। पर इसके साथ ही जरूरी है कि हम आपस में कोई वैर वैमनस्य न उत्पन्न होने दें व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व बंधुत्व का संदेश ले कर जाएं। विशेषकर विभिन्न धर्मों के आपसी संबंध सद्भावना और एक दूसरे से सीखने, अच्छाइयों को अपनाने पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने वेदों, कुरान व बाइबल के समंवय की बात की जिससे सद्भावनापूर्ण माहौल में पूरा विश्व आगे बढ़े और किसी तरह के वैर वैमनस्य से मानव प्रगति की राह में बाधा न पड़े।

यह सब रेखांकित करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी सांप्रदायिक तत्त्व स्वामी विवेकानंद के विचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं व युवाओं को गुमराह करते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि कोई सांप्रदायिक द्वेष व झगड़ा न हो, अपितु सभी धार्मिक समुदाय आपस में सद्भावना से रहें। तो फिर यह सांप्रदायिक तत्त्व स्वामी विवेकानंद के नाम व चित्र व प्रतीकों का उपयोग क्यों करते हैं जबकि वे तो उनके आदर्शों के प्रतिकूल सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं। इन सवालों को इस कारण उठाना जरूरी है ताकि स्वामी विवेकानंद के नाम का दुरुपयोग करने के बेहद अनुचित व अनैतिक प्रयासों पर रोक लग सके। इसके लिए स्वामी विवेकानंद के सच्चे अनुयायियों को आगे आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने वैसे तो बहुत कुछ लिखा है, पर संभवतः सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह दिया कि आध्यात्मिकता का व्यवहारिक स्तर पर दैनिक जीवन में समावेश होना चाहिए। आध्यात्मिकता की गहराई और दार्शनिक बहसें अपनी जगहों पर मान्य हैं पर अध्यात्म केवल विद्वानों व सन्यासियों की बहस तक न रह जाए इसका ध्यान रखना जरूरी है। अतः सबसे जरूरी बात तो यह है कि अध्यात्म को इस रूप में लोगों के सामने रखा जाए जिससे नैतिकता, सदाचार व साहस के रूप में वह दैनिक जीवन में व्यवहारिक तौर पर घुलमिल जाए। धार्मिक विद्वानों का कार्य केवल बड़े पोथे लिखना नहीं है अपितु अध्यात्म के निचोड़ को इस सीधे सरल रूप में आम लोगों तक ले जाना है।

यह स्वामी जी ने अपने जीवन के माध्यम से प्रतिष्ठित किया है कि जिसे धर्म व अध्यात्म की जितनी गहरी समझ होगी, वह उतने ही सीधे सरल रूप में इसे आम लोगों के पास ले जा सकेगा। स्वामी जी का ज्ञान जितना गहरा है, उनके उपदेश उतने ही सरल व व्यवहारिक जीवन में अपनाने के अनुकूल हैं। जो बहुत गहरे विचारों का उनका लेखन है, वह अपनी जगह है पर साथ ही व्यवहारिक स्तर के उनके उपदेश बहुत प्रेरणादायक हैं। इनमें वे बहुत स्पष्ट रूप से धर्म को हर तरह की सांप्रदायिकता व आपसी झगड़ों से अलग करते हैं व सभी धर्मों की आपसी सद्भावना का बहुत असरदार संदेश देते हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा के बारे में भी ऐसे विचार रखे हैं जो आज तक शिक्षा के सुधार के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने बच्चों में स्वाभाविक रचनात्मकता

जारी

को पनपने और खिलने को सबसे अधिक महत्त्व दिया और कहा कि जैसे पौधा अपने से खिलता है वैसे बच्चों को स्व–शिक्षा से अपनी रचनात्मकता विकसित करने के भरपूर अवसर मिलना चाहिए और शिक्षक व अभिभावक की भूमिका यह है कि इसके लिए अनुकूल अवसर दे, इसे अवरुद्ध कभी न करे। ज्ञान को ऊपर से लादना नहीं चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अच्छा चरित्र निर्माण करता है। पूरी लाइब्रेरी की किताबों को चाट जाने से ज्यादा जरूरी है कि कुछ अच्छे विचारों को ग्रहण कर उनका समावेश अपने चरित्र निर्माण में किया जाए। अंतहीन बातचीत व बौद्धिक विलास से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अतः जरूरी है कि समाज में सार्थक बदलाव के लिए वास्तविक प्रयास किया जाए। 'एक्शन' से, कर्म से ही उपलब्धि होगी, केवल तर्क वितर्क से नहीं। स्वामी जी ने अपने मात्र 39 वर्ष के जीवनकाल में बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में न केवल ज्ञान के गहरे सागर से मंथन कर महत्वपूर्ण सत्यों की खोज की, बल्कि उन्हें दूर दूर तक व टिकाऊ तौर पर फैलाने के लिए जरूरी संस्थानों विशेष तौर पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।

स्वामी विवेकानंद ने बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में आसपास जो निराशा का माहौल देखा, उसे अपने विचारों के बल पर देश में एक नई उम्मीद, एक नवजागरण के माहैल में बदल दिया। यही वजह है कि युवा आज भी उनके प्रेरणादायक जीवन व विचारों से मार्ग दर्शन प्राप्त कर भटकाव की राह से तो बचते ही हैं, साथ में जीवन की सबसे ऊंची व सार्थक उपलब्धियों तक पहुंचने की संभावना उत्पन्न करते हैं। *(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)* **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 283 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जुलाई 2013 से 28 जुलाई 2013

खाद्य सुरक्षा विधेयकः न हो कमजोर व बनावटी

• बाबूलाल नागा •

आखिरकार, केंद्रीय केबिनेट ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यादेश की घोषणा के छह महीने के अंदर इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी पाना जरूरी होगा। अध्यादेश लागू होने पर देश के करीब 80 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में होंगे।

पिछले महीने विपक्ष और साथी दलों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार को खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लाने की योजना को टालना पड़ा था। खाद्य सुरक्षा योजना यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में प्रमुख है। यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक को 2014 के आगामी लोकसभा चुनावों के संदर्भ में अपने प्रमुख हथियार के रूप में देख रही है। यही कारण है कि आनन फानन में यूपीए सरकार अध्यादेश के जरिए खाद्य सुरक्षा कानून ले आई। अब सरकार मानसून सत्र में यह अध्यादेश पास कराने की कोशिश करेगी लेकिन सरकार के लिए यह आसान नहीं होगा। कई विपक्षी दल इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यह अध्यादेश लागू होने के बाद सही तरह से लागू हो पाएगा या नहीं। क्या यह विधेयक भारत में व्याप्त बहुआयामी भुखमरी, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा की स्थिति को खत्म कर पाएगा। क्या इससे खाद्य सुरक्षा की स्थिति को वास्तव में हासिल किया जा सकेगा। क्या यह कानून देश में पोषण की सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में कोई मदद कर पाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंचाने की सरकार की ओर से उठाया गया यह एक अच्छा कदम है। देश की 63.5 प्रतिशत आबादी को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण इलाकों के 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 50 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस कानून में आम लोगों को दो हिस्सों में बांटा गया है। बीपीएल को प्राथमिकता वाले परिवारों में और एपीएल परिवारों को सामान्य परिवारों में रखा है। गरीबों को गेहूं दो रुपए किलो, चावल तीन रुपए किलो और मोटा अनाज एक रुपए किलो दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति हर माह पांच किलो अनाज मिलेगा। निर्धनतम गरीबों को प्रति परिवार हर महीने 35 किलो अनाज इन्हीं दरों पर दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को हर माह 6 हजार रुपए तक की रकम दी जाएगी। आठवीं कक्षा तक के बच्चों को भी भोजन दिया जाएगा। देश के लगभग 85 करोड़ लोग रियायती दर पर अनाज हासिल कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा के अंतगर्त मिड डे मील, आईसीडीएस भी शामिल हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए हर साल तकरीबन छह करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी। लागत आएगी सालाना करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए। एक किलो चावल पर 23.50 और गेहूं पर प्रतिकिलो 18 रुपए की सब्सिडी देनी होगी। 3 साल में करीब 6 लाख करोड़ की सब्सिडी का अनुमान है। सरकार लोगों को मुफ्त आवास दे रही है। रोजगार दे रही है। अब भोजन भी देगी लेकिन यह योजना कैसे लागू होगी। किनको इसका लाभ मिलेगा। अभी यह बहुत स्पष्ट नहीं है। पहले भी देश के कई राज्यों में सस्ते अनाज की योजनाएं आईं। सबकी सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस योजना का लाभ गरीबों तक कितना पहुंच पाता है यह तो हालात बताएंगे। अगर यह योजना लागू भी हुई तो यह कैसे संभव है कि हर गरीब तक अनाज पहुंच पाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तो वैसे ही गरीबों को कालाबाजारी कर खुले बाजार में बेचा जाता है। सबसे अहम सवाल है कि इतनी बड़ी योजना के लिए बजट कहां से आएगा। यह 'भोजन गारंटी योजना' कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एक अनुमान के मुताबिक कृषि मंत्रालय का जितना बजट है, उससे कहीं ज्यादा खर्चा इस योजना पर आने वाला है। आशंका है कि आगे चलने वाली प्रक्रियाओं में मौजूद विधेयक में दिए गए

प्रावधानों को और ज्यादा कमजोर किए जाने का काम किया जाएगा। इसके लिए सरकार और सरकार के बाहर माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे हालातों से लगता है कि यह कानून भी कहीं कमजोर व बनावटी बनकर रह न जाए। दूसरी तरह मौजूदा रूप में इस विधेयक को खाद्य सुरक्षा विधेयक भी नहीं कहा जाना चाहिए। अभी भी इस विधेयक में कई खामियां हैं। इस विधेयक के नजरिए और ढांचे में बुनियादी बदलाव लाए जाने की जरूरत है। इन बदलावों के बिना कानून बन जाने के बाद भी भुखमरी का संकट ज्यों का त्यों बना रहेगा। खाद्य सुरक्षा और पोषण की सुरक्षा सम्मानजनक जीवन के अधिकार का एक अहम आधार है। सवा अरब आबादी वाले इस भारत देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला यह कानून किफायती साबित हो। अतः देश में रहने वाले हर व्यक्ति को भूख से मुक्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ समाज के वंचित तबकों की पहचान करके उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। बहरहाल, गरीबों को सस्ता अनाज देने की योजना यूपीए सरकार ले आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जमीनी हकीकत बन पाएगा। इस योजना में असली समस्या क्रियांवयन की होगी। जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक सूरत ए हाल नहीं बदलेंगे। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 283 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जुलाई 2013 से 28 जुलाई 2013

अपनी ही जमीन से मोहताज सहरिया

• फिरोज खान •

बारां जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज व शाहाबाद में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, जिनकी जमीनों पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है। इनको नाम मात्र के पैसों का लालच देकर वर्षों से इनकी भूमि की उपज को खा रहे हैं। सहरिया समुदाय हमेशा से जंगलों में रहता आया है और इनकी रोजी रोटी का साधन भी जंगल है लेकिन कुछ समय से इनमें बदलाव आया है। पहले ये लोग जन्म, मरण, शादी ब्याह के समय प्रभावशाली लोगों से कर्जा लेकर अपना काम चलाते थे। बदले में ये लोग नाम मात्र की राशि पर वर्षों तक बंधुआ मजदूरी करते थे। जब ये अपना हिसाब करवाते थे तो इनके ऊपर हजारों रूपए का कर्जा निकाल दिया जाता था। इस कारण ये पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं रहते और मजदूरी व वापस इन्हीं जमींदार लोगों के यहां बंध कर रह जाते। स्वयंसेवी संस्था संकल्प व जाग्रत महिला संगठन लगभग 30–35 वर्षों से इस क्षेत्र में इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। गत वर्षों में क्षेत्र के करीब 161 सहरिया बंधुआ मजदूरों को आजाद करवाकर मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। आज ये सभी बंधक खुली मजदूरी व स्वयं की खेती करके अपना खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन आज भी ऐसे सैकड़ों सहरिया परिवारों की भूमि पर दंबगों का कब्जा है।

ऐसा ही एक उदाहरण अभी हाल ही में सामने आया है। किशनगंज क्षेत्र की छतरगंज ग्राम पंचायत के गांव बंदा कियवपुराकी में दो सहरिया महिलाओं की खाते की भूमि 12 बीघा पर 20 साल से गांव के ही प्रभावशाली गुर्जर समाज के भगवान पुत्र देवलाल व गिरिराज पुत्र छीतरलाल ने कब्जा कर रखा है। इससे पैदा होने वाली फसल को 20 साल से खा रहे हैं। इसी गांव के कल्ला सहरिया इनके यहां हाली का काम करता था और इसके पुत्र तो था ही नहीं, दो पुत्रियां थी जिनकी शादी कर दी गईं। इसकी 12 बीघा भूमि को यह दोनों दबंग खेती कर रहे हैं। कल्ला सहरिया की मृत्यु के पश्चात कैलाश बाई व सुमित्रा बाई दोनों पुत्रियों ने अपने खाते की भूमि को पाने के लिए 20 साल बाद प्रशासन व संकल्प संस्था के मोतीलाल के सहयोग से 23 मई को इन दोनों बहनों को अपनी भूमि पर कब्जा मिल गया। ज्ञात रहे कि 12 बीघा भूमि पर बीस साल बाद वन विभाग की टीम व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सहरिया परियोजना के सरकारी ट्रेक्टर से भूमि को हंकवाकर कब्जा दिया गया। हालांकि इससे पूर्व दो बार प्रशासन ने कब्जा दे दिया था मगर अतिकर्मी प्रभावशाली होने के कारण गांव का कोई भी ट्रेक्टर इस भूमि को हांकने के लिए तैयार नहीं था। इस पर दोनों बहनों ने तहसीलदार बशीर मोहम्मद को एक प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन की मौजूदगी में सरकारी ट्रेक्टर से हंकवाई करवाने की मांग रखी थी। जिस पर आदेश करते हुए 23 मई को नायब तहसीलदार भोलाराम बैरवा की मौजूदगी में 12बीघा भूमि पर सरकारी ट्रेक्टर से हंकाई करवाकर सभी की उपस्थिति में यह कब्जा इन दोनों बहनों को दिया गया। इन्होंने कहा कि 20 साल से अपनी ही भूमि से वंचित थे। प्रशासन के सहयोग से आज हमें हमारी खाते की भूमि मिलने से बहुत खुशी है।

वहीं इसी क्षेत्र की एक विधवा महिला ने अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र एसडीओ रामरतन सौकरिया को देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला जड़िया बाई पत्नी मांगीलाल खैरवा निवासी पीपलघटा ने बताया कि करीब 10–12 वर्ष पहले कंड़ा आल में 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। जिसका खसरा नंबर 268/452 है। मगर इस भूमि पर भंवरगढ़ के घनश्याम शर्मा ने कब्जा कर रखा है। इससे मेरे पति ने 1200 रुपए इलाज करवाने के लिए लेने पड़े लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो गई, तब से ही इसका ही कब्जा चल रहा है। मैंने कई बार इसके पास जाकर जमीन छोड़ने को कहा मगर मुझे भगा दिया जाता है। वर्षों से जमीन से निकलने वाली उपज को भी यह अतिक्रर्मी खा रहा है जबकि 1200 रुपए की राशि तो कम की जा चुकी है। बदले में 3000 रुपए की राशि मांगता है। महिला का कहना है कि मेरे पास होते तो जमीन तो कम भी ले लेती मगर असहाय विधवा अपनी 5 बीघा भूमि को कब्जे से मुक्त करवाने के लिए अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रही है। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 283 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जुलाई 2013 से 28 जुलाई 2013

किस किसके लिए खाद्य सुरक्षा और बाकी लोगों का क्या?

• पलाश विश्वास •

खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति की परवाह किए बिना राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। संसद में विधेयक पास कराकर कानून बनाने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व और सत्ता व वित्तीय परबंधन के कारपोरेट प्रबंधकों ने संसद को बाइपास करके लोकसभा चुनाव से पहले खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू कर दिया। इससे पहले रोजगार, शिक्षा और सूचना के अधिकारों का हश्र देखते हुए असमानता और अन्याय पर आधारित खुले बाजार में तब्दील राष्ट्र में सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में इसके आर्थिक आयामों और तमाम सामाजिक योजनाओं के प्रबंधन के संदर्भ में इस आयोजन के निहित स्वार्थ तंत्र की पड़ताल जरूरी है, जो संसदीय बहस का निषेध करती है और जहां जन सुनवाई और संवाद के लिए कोई विकल्प ही नहीं है।

राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश पर दस्तखत कर इसके कानून बनने का रास्ता साफ कर दिया है। अब गरीबों को 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं मिल सकेगा। दूसरी ओर, डीबीएस बैंक का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के निर्णय से चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत के लक्ष्य से आधा प्रतिशत आगे बढ़ सकता है और इससे मामला और जटिल बन सकता है। उद्योग संघ फिक्की ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार की तारीफ की है। इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में लाने के कारण अब सदन में चर्चा के दौरान इसमें संशोधनों पर विचार नहीं हो सकेगा। अब संसद के दोनों सदनों को या तो इसे पारित करना होगा या खारिज और फिलहाल विपक्ष इसे खारिज करने का जोखिम नहीं लेगा। अध्यादेश संसद के मानसून सत्र से कुछ ही सप्ताह पहले लाया गया है और राजनीतिक दलों की मांग है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को दोनों सदनों में चर्चा के जरिए पारित किया जाना चाहिए था। सत्ता प्रतिष्ठान का दावा है कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने देश की दो तिहाई जनसंख्या को 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न देने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिहाज से लाए गए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। जिस गैरकानूनी कारपोरेट आधार योजना को तमाम सामाजिक योजनाओं से नत्थी करके सरकारी खर्च करके देहात में नकदी प्रवाह बढ़ाकर स्तंभित बाजार विकास विस्तार को त्वरा देने की यह रणनीति है, उसके तहत तो इस देश के तमाम आदिवासी, शरणार्थी, बस्तीवाले, बंजारा लोग नागरिकता और बायोमैट्रिक पहचान से बाहर हैं। 120 में से 60 करोड़ को आधारकार्ड दिए जाने हैं, बाकी को नहीं। तो किस जनसंख्या की एक तिहाई को लक्षित है यह योजना? फिर भी सत्ता प्रतिष्ठान का दावा है कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दुनिया की इस तरह की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा होगा जिसमें सरकार हर साल देश की 67 प्रतिशत आबादी को करीब 6.2 करोड़ टन चावल, गेहूं या मोटा अनाज की आपूर्ति पर करीब 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले महीने मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर अलग अलग राय आने के चलते फैसला टाल दिया गया था, लेकिन 3 जुलाई को खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिहाज से अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई।

बहरहाल, चुनावी शतरंज की चालों के मुताबिक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जिसमें पूर्व घोषित कुरुक्षेत्र महाभारत के पांडव और कौरव हैं, उनके अपने अपने युद्ध कौशल हैं, जहां न सामाजिक यथार्थ का कोई प्रसंग है और न देश काल परिस्थिति की यथायथ अभिव्यक्ति और न अर्थव्यवस्था के बुनियादी मुद्दों का यथार्थ वादी दृष्टिकोण। कांग्रेस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद के बजाय अध्यादेश के रास्ते लागू करवाने का बचाव किया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव अजय माकन ने कहा कि देश में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करना जरूरी था और इसमें एक दिन की देरी भी कई लोगों की जान ले सकती है। उधर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कहा है कि वह इस विधेयक की विरोधी नहीं है, लेकिन पार्टी चाहती है कि इस पर सदन में चर्चा हो और कुछ संशोधनों के साथ इसे पारित किया जाए। वामपंथी दलों ने भी इस अध्यादेश की आलोचना की है। वामदलों ने अध्यादेश का रास्ता अपनाने पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि संप्रग–2 ने संसद की अवहेलना की है। भाजपा ने इसे राजनीतिक चाल कहा। संप्रग को बाहर से समर्थन दे रही सपा ने भी अध्यादेश का तीखा विरोध करते हुए कहा कि यह अलोकतांत्रिक है और यह कार्यक्रम खाद्य अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देगा। अध्यादेश की घोषणा के छह महीने के अंदर इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी पाना जरूरी होगा। बुनियादी प्रश्न तो यह है कि देश में कृषि निर्भर नैसर्गिक आजीविका और समूची कृषि व्यवस्था के विध्वंस, उत्पादन प्रणाली को तहस नहस करके, परंपरागत देशज कामधंधों को खत्म करके भूमंडलीकरण के पंख पर सवार होकर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष

जारी

निर्देशित अबाध पूंजी प्रवाद के काले धन की अर्थव्यवस्था सब्सिडी सर्वस्व खाद्य सुरक्षा का बंदोबस्त कैसे कर सकती है। जिस देश में लाखों किसान आत्महत्या में मुक्ति मार्ग खोजते हों, जहां कृषि विकास दर और औद्योगिक विकास दर दोनों शून्य पर हो और विदेशी पूंजी के हवाई किले पर विकासगाथा का झंडा बुलंद हो, परिभाषाओं और पैमाने सुभीधे के मुताबिक बदल जाते हों, नागरिकता और पहचान तक निश्चित नहीं है तो किसकी खाद्य सुरक्षा के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया है?

भारतीय राष्ट्रीय नीतियों के संदर्भ में विश्व बैंक की भूमिका नकारात्मक और असंगत रही है। भारत दुनिया में विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। 1947 से अब तक भारत पर 60 बिलियन डॉलर (दो लाख चालीस हजार करोड़ रुपए) का कर्ज हो चुका है। न्यायाधिकरण ने माना कि विश्व बैंक के कर्जों का प्रयोग महत्वपूर्ण नीतियों में बदलाव लाने और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी शर्तें मनवाने के लिए किया गया है, जिनके सामाजिक, राजनैतिक रूप से उल्टे परिणाम सामने आ रहे हैं। इनमें प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और पर्यावरण जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनयूआरएम) योजना विश्व बैंक की ही योजना है। 250 मिलियन डॉलर के कर्ज के इतने दूरगामी परिणाम हुए कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो गया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का भुगतान लेने के लिए दो लाख स्थायी कर्मचारियों की कटौती करने के लिए दबाव बनाया गया। इसका प्रभाव किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आया। ज्यादातर किसानों ने इसलिए आत्महत्या की कि वे बिजली का बिल नहीं चुका सकते थे। बिजली की दर अचानक बढ़ा दी गई थी। खेती पर मिलने वाली सब्सिडी घटा देने से लागत में वृद्धि हो गई थी। 1990 के दशक में विश्व बैंक से लिए गए कर्जे का बीस से तीस फीसदी ऊर्जा क्षेत्र में लगाया गया। विश्व बैंक की सलाह पर चलने के कारण स्थानीय ऊर्जा विशेषज्ञों की अनदेखी की गई, जबकि विदेशी सलाहकारों पर 306 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन सलाहकार एजेंसियों ने ही उड़ीसा में पानी के वितरण का निजीकरण करने की सिफारिश की। अमेरिकन फर्म 'एईएस' ने केंद्रीय क्षेत्र में पानी के वितरण का काम अपने हाथ में लिया। 2001 में फर्म ने राज्य छोड़ दिया। मिनिसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल गोल्डमैन बताते हैं कि विश्व बैंक पर पांच महाशक्तियों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और फ्रांस का कब्जा है। 2003 में विश्व बैंक की 4–5 फीसदी योजनाओं के ठेके इन्हीं देशों की कंपनियों को मिले। वे बताते हैं कि विश्व बैंक की योजनाएं जहां भी चल रही हैं वहां स्थानीय ढांचे में स्वतरू ही असमानता पैदा हो रही है। उदाहरण के रूप में आज भारत में विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की प्राथमिकता मेगासिटी परियोजनाओं में पैसा लगाना है। भारत के बड़े शहरों में आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक काम्प्लेक्स, सड़कों, पानी, सीवेज और बिजली जैसे 'नगरीय ढांचे' के लिए करोड़ों डॉलर कर्ज दिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस शहरी विकास से गरीबी दूर होगी,रोजगार बढ़ेगे और स्वास्थ्य तथा आवासीय सुविधाओं में सुधार होगा लेकिन इस नीति को देखें तो सच्चाई कुछ और ही दिखती है। ज्यादातर कर्ज स्थानीय स्तर की जवाबदेह या लोकतांत्रिक एजेंसियों को मिलते ही नहीं। ऐसी एजेंसियों को मिलते हैं जिन्हें वास्तव में बैंक ने लोगों को भ्रमित करने के लिए बना रखा है। जैसे– बिजली बोर्ड, जल बोर्ड आदि। इन योजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोली ऐसी शर्तों पर लगाई जाती है कि भारतीय कंपनियां खुद ही बाहर हो जाएं। सार्वजनिक वित्त के लिए हम पूरी तरह से विश्व बैंक के ऊपर निर्भर हो गए हैं। वही हमें निर्देशित कर रहा है कि हमें क्या करना है? हम स्वीकार भी कर लेते हैं जैसे कि हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। विश्व बैंक आईएमएफ और डब्लूटीओ की नीतियां एकतरफा लादी जा रही हैं। यह वैश्वीकरण का दूसरा चेहरा हमें देखने को मिल रहा है। आय में असमानताएं बेरोजगारी तथा उत्पादन में कमी आई है। इन तथ्यों के मद्देनजर यह समझने का प्रयास करें कि खाद्य सुरक्षा योजना महज लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस का तुरुप का पत्ता नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारपोरेट दिलोदिमाग हैं और खाद्य सुरक्षा के बहाने अर्थव्यवस्था पर वैश्विक पूंजी का शिकंजा मजबूत करने की रणनीति है।

मान लिया कि गरीबी रेखा के नीचे को लक्षित है यह सामाजिक योजना तो वितरण प्रणाली के खात्मे के बाद आधार कार्ड योजना के मार्फत नकद सब्सिडी के तहत आप देश भर में गोदामों और परिवहन प्रणाली में, खुले आसमान के नीचे सड़े गले अनाज और कारोबारियों के मार्फत विदेश से अनाज मंगाकर खाद्य प्रबंधन करेंगे लेकिन आधार महर्षि इंफोसिस महान नंदन निलेकणि ने तो सिर्फ साठ करोड़ लोगों को आधार देने का वायदा किया है। बाकी साठ करोड़ का क्या होगा। विनिवेश और निजीकरण की वजह से बाजार और उत्पादन प्रणाली, रोजगार में हाशिए पर जा रहे जनसमाज, जो निश्चिय ही गरीबी रेखा के नीचे चिहिंत नहीं होंगे, जैसे खेत खलिहानों में कामकाजी किसान, कल कारखानों के मजदूर और छंटनी के शिकार कर्मचारी, यहां तक के विनिवेश के भुक्तभोगी एअर इंडिया के जैसे सफेदपोश अफसरान भी, इनकी खाद्य सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं और जिनकी नागरिकता और पहचान चिहिंत नहीं है, इनके अलावा महानगरों, नगरों, कस्बों से लेकर गांव देहात में खाद्य पदार्थों की कीमतें जिस तेजी से आसमान छू रही हैं और आम जनता की क्रयशक्ति क्षीण होती जा रही है, जो इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे, उनकी भूख को कैसे संबोधित करेगा राष्ट्र? तेजी से फैलते माल प्रणाली और खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश के जरिए मृत कृषि और आत्महत्या करते किसानों के देश में जो इस अध्यादेश या विलंबित कानून के तहत खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी बनने हेतु अपात्र है, उनकी भूख का क्या होगा? राष्ट्रपति सचिवालय ने अध्यादेश को प्राप्त किया था और मुखर्जी ने उस पर मुहर लगा दी। जिसके बाद इस तरह की अटकलें

जारी

समाप्त हो गईं कि भाजपा, वामदलों और कुछ अन्य बड़े दलों के विरोध के बाद संभवतः राष्ट्रपति अध्यादेश को मंजूर करने में जल्दी नहीं करेंगे। इस योजना के अतिरिक्त अंत्योदय अन्न योजना के दायरे में आने वाले देश के करीब 2.43 करोड़ अत्यंत निर्धन परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति महीने मिलता रहेगा, लेकिन कानूनी अधिकार के साथ। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के अन्य प्रमुख लाभों में 6000 रुपए का मातृत्व लाभ और 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए घरेलू राशन या गर्म पकाया हुआ खाना शामिल है। राशन कार्ड घर की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम पर जारी किया जाएगा और ऐसा नहीं होने पर सबसे वरिष्ठ पुरुष के नाम पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता वेणु राजामुनि ने एक बयान में कहा, भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को लागू कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक पूरे देश में इस योजना का प्रसार करने के लिए कम से कम छह महीने लग जाएंगे। डीबीएस बैंक का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के निर्णय से चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत के लक्ष्य से आधा प्रतिशत आगे बढ़ सकता है और इससे मामला और जटिल बन सकता है। सिंगापुर स्थित इस ब्रोकरेज फर्म ने एक रिपोर्ट में कहा, 'इस साल राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से कम से कम आधा प्रतिशत ऊपर जा सकता है।' रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी बिल बढ़कर जीडीपी के 2.3 प्रतिशत तक पहुंच सकता है जो 1.9 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी ऊपर है। सब्सिडी बिल में बढ़ोतरी की मुख्य वजह व्यापक स्तर पर खाद्य सब्सिडी होगी। राजकोषीय मोर्चे पर रुपए में गिरावट और बाद में कच्चे तेल में तेजी, आग में घी डालने जैसा काम करेगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष अशोक गुलाटी को लगता है कि मौजूदा स्थिति में अध्यादेश शुरू में खराब लगकर बाद में सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडार है। उन्होंने कहा कि जब तक हम पीडीएस व्यवस्था तय नहीं करते, उत्पादन को स्थिर नहीं करते और भंडारण तथा परिवहन में निवेश नहीं करते तो उक्त लाभ कितने दिन तक मिलेगा। गुलाटी ने कहा कि उन राज्यों में पीडीएस में लीकेज रोकने की चुनौती सबसे बड़ी है जहां गरीबी ज्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि खाद्य विधेयक की मांग को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की बड़े स्तर पर सरकारी खरीद से गेहूं और चावल के बाजार से निजी कारोबारी बाहर हो जाएंगे। (साभारः मीडिया दरबार डॉट कॉम) **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 283 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जुलाई 2013 से 28 जुलाई 2013

खबरें संक्षेप में

अपराधी नेताओं पर कानूनी शिकंजा

• विविधा फीचर्स •

दागी नेताओं को संसद और विधानसभाओं में पहुंचने से रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कहा है कि दो साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही सांसद व विधायक सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को रद्द कर दिया है। यानी अपील लंबित होने तक पद पर बने रहने की अनुमति देने का प्रावधान अब वजूद में नहीं रहेगा।

इस फैसले की खास बात यह है कि विधायकों व सांसदों को अपील करने का समय नहीं मिलेगा। उनकी सदस्यता तब तक निलंबित रहेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट बरी न कर दे। इसके अलावा वे जेल में रहते चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब तक हिरासत या जेल में रहेंगे,उनके लिए विधायिका के दरवाजे बंद रहेंगे। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कोर्ट का फैसला हालांकि उन विधायकों और सांसदों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपनी सजा के खिलाफ यह फैसला आने के पहले उच्च अदालतों में अपील कर रखी है। यह फैसला आम लोगों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच के उस भेदभाव को मिटाने की कोशिश है जिसके तहत जनप्रतिनिधियों को संरक्षण मिला हुआ है। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 (3) के तहत किसी मामले में दोषी पाए जाने और दो साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाए जाने पर दोषी शख्स मौजूदा कार्यकाल और सजा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनावी प्रक्रिया के लिए अयोग्य करार किया जाता है।

निश्चत रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कानून बनाने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों की बैचेनी बढ़ा दी है। क्योंकि कोई भी इससे अछूता नहीं है। लोकसभा में 30 फीसद सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें कांग्रेस के 44, भाजपा के 43,सपा के 9, बसपा के 6, जदयू के 8, माकपा के 3 सांसद शामिल है। 14 फीसदी सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। 1460 सांसद व विधायक आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। राज्यसभा के 237 सदस्यों में से 39 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इस तरह कुल 4835 विधायक व सांसदों में से 1460 पर आपराधिक केस है। यानी कुल 31 फीसद नेताओं पर केस। बहरहाल, चुनाव सुधार की कड़ी में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। **(विविधा फीचर्स)**

नियुक्ति में देरी क्यों?

• विविधा फीचर्स •

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में तीन साल से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश दलित मानव अधिकार केंद्र समिति की जनहित याचिका पर दिया।

याचिका में बताया गया था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हाईकोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग में न्यायाधीश एनके जैन के 15 जुलाई 2010 को रिटायर होने के बाद से अभी तक किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। वर्तमान में आयोग का कार्यभार कार्यवाहक अध्यक्ष ही संभाल रहे हैं। इससे आयोग में लंबित व नए मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। पिछले वर्ष अगस्त 2012 में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानवाधिकार अदालतों के गठन में हो रही देरी पर राज्य का पक्ष और राय भेजने को कहा था। **(विविधा फीचर्स)**

विविधा फीचर्स

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केंद्र,
335, महावीर नगर II, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2762932 ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com वेबसाइट : Vividha.co.in संपादक – बाबूलाल नागा

अंक – 283 वर्ष – 12 **प्रकाशन सामग्री** 12 जुलाई 2013 से 28 जुलाई 2013

खबरें संक्षेप में

उपभोक्ताओं के हितों में उठाने होंगे जरूरी कदम

• हरिप्रसाद योगी •

राज्य में उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त एवं उचित संरक्षण के संदर्भ में कंज्यूमर लीगल हेल्प सोसायटी, सवाईमाधोपुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र दिया है। पत्र में उपभोक्ता मंचों के सशक्तीकरण एवं जवाबदेहिता के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। कहा कि राज्य के सभी उपभोक्ता मंचों में उपभोक्ताओं को 90 दिन में न्याय नहीं मिल पा रहा है जबकि अधिनियम के अनुसार एवं प्रचार प्रसार में 90 दिन में न्याय मिलने की बात की जाती है। देखा जा रहा है कि किसी भी उपभोक्ता को 90 दिन में यहां तक की 6 माह से 1 वर्ष पूर्व तक न्याय नहीं मिल पा रहा है।

पत्र में उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2005 को शीघ्र लागू करवाए जाने की मांग की गई है। ताकि उपभोक्ताओं को शीघ्र सरल, सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष (न्यायधिका), खाद्य सचिव (आईएएस) एवं विधि सचिव स्तर की गठित कमेटी द्वारा नियमानुसार साक्षात्कार लेकर उनकी अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है लेकिन मंत्रियों और अति प्रभावशाली लोगों के चेहतों को उपभोक्ता मंचों के सदस्य बनाया जाता है। इसमें अधिनियम द्वारा गठित उच्च स्तरीय साक्षात्कार कमेटी के सदस्यों की साक्षात्कार में चयन व्यक्तियों को या उनके द्वारा चयनित पैनल को देखा तक नहीं जाता है। इस तरह केवल राजनीतिक प्रभाव से नियुक्त व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण या उसके प्रावधानों से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं। इसके चलते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य विफल हो रहे हैं। पत्र में मांग की गई है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गठित कमेटी के द्वारा लिए साक्षात्कार के आधार पर सदस्य नियुक्त किए जावें।

कंज्यूमर लीगल हेल्प सोसायटी ने राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन की भी अतिशीघ्र मांग की है। राजस्थान में उपभोक्ताओं से जुड़े अति संवेदनशील मुद्दे जिसमें विद्युत, चिकित्सा, मिलावट, रसद/वितरण प्रणाली पर राज्य स्तर पर चर्चा, सुझाव व क्रियांवति के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गठित की जाने वाली राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन ही पिछले 7–8 वर्षों से नहीं हुआ है। पत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि खाद्य विभाग द्वारा जारी अपने नागरिक अधिकार में कहा गया था कि राशन की दुकान स्तर, तहसील और जिला स्तर पर निगरानी हेतु 5 सदस्यों की सतर्कता समितियों का गठन होगा जो राशन सामग्री के आवंटन और वितरण को सत्यापित करेगी लेकिन विभाग के जानबूझकर एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन सतर्कता समितियों से कोई भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जाता। **(विविधा फीचर्स)**

जनता को मुफ्त उपहार न दें

• विविधा फीचर्स •

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के मुफ्त सामान बांटने के लुभावने वादों को गलत ठहराते हुए इस पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को घोषणा पत्रों के कथ्य को नियमन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणाओं में मुफ्त उपहार देने के वादे किए जाने से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों की बुनियाद हिल जाती है।

अदालत ने कहा कि मुफ्त उपहार देने के राजनीतिक दलों के वादों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का स्तर प्रभावित होता है और चुनावी प्रक्रिया दूषित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक अलग कानून भी बनाए जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को मुफ्त में घरेलू चीजें दिए जाने के अन्नाद्रमुक के चुनावी वादे के क्रियांवयन के जयललिता सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। तमिलनाडु में पिछले विधानसभा चुनाव में द्रमुक और अन्नाद्रमुक दोनों प्रमुख पार्टियों ने सत्ता में आने पर कई चीजें मुफ्त में देने के वादे किए थे। **(विविधा फीचर्स)**